न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)
पीठासीन अधिकारी, दूदाराम R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 104/2019

प्रार्थीगण :–
तहसीलदार पीपाड़ शहर तहसील
पीपाड़ शहर

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. रामबगस पुत्र नारायणराम
2. मींयाराम पुत्र नारायणराम
सभी जातियान जाट निवासीगण
ग्राम मुण्डाना तहसील पीपाड़ शहर
जिला जोधपुर ।
3. व्यवस्थापक राजस्थान मरूधरा
ग्रामीण बैंक सालवा खुर्द
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
प्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर
श्री जगदीश प्रसाद दवे अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक : 28.03.2022

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 में पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है:– ग्राम मुण्डाना तहसील पीपाड़ शहर की जमाबन्दी खेवट खतोनी सम्वत् 2015 से 2018 के अनुसार ग्राम मुण्डाना का खसरा नं. 550 रकबा 9.00 बीघा किस्म बारानी ए चालु परती या एक वर्षीय परती राजस्थान सरकार के खाते की भूमि है। जमाबन्दी खेवट खतोनी सम्वत् 2019 से 2022 मे बिना किसी नामान्तरणकरण की स्वीकृति के खसरा नं. 550 रकबा 9.00 बीघा किस्म बारानी ए भूमि मे नारायण वल्द हुक्मा कौम जाट साकिन देह का नाम गैर खातेदार के रूप मे बिना किसी आधार के दर्ज कर लिया गया। जमाबन्दी खेवट खतोनी सम्वत् 2023 से 2026 मे राजकीय खाते की चालु परती या एक वर्षीय परती भूमि के खसरा नं. 550 रकबा 9.00 बीघा किस्म बारानी ए के खाते के सामने विशेष विवरण मे नामान्तरकरण दर्ज नं. 34 रकबा 9.00 बीघा खसरा नं. 550 नारायण पुत्र हुक्मा जाट के नाम रेगुलाईज हुआ का अंकन किया गया जबकि उक्त तारीख को नामान्तरकरण संख्या 34 फेसल नही हुआ था। बिना नामान्तरकरण के निर्णय के जमाबन्दी मे किसी तरह का नोट नही लगाया जाता है। अतः यह नोट विधि विरूद्ध लगाया हुआ है।जमाबन्दी सम्वत् 2027 से 2030 मे नारायण पुत्र हुक्मा कौम जाट साकिन देह खातेदार के नाम जमाबन्दी मे उनके खाते के कुल 7 खसरे अंकित करके रकबे का योग 125.05 बीघा लिख कर इन्द्राज किया हुआ है जबकि उक्त 7 खसरो के बाद अलग से खसरा नं. 550 रकबा 9.00 बीघा लिखा हुआ है एवं उसके ऊपर गोला लगाया हुआ है। जमाबन्दी के विशेष विवरण मे म्यूटेशन नं. 86

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

रामरख पुत्र नारायणराम 1/2, भींयाराम पुत्र नारायण 1/2 दर्ज है जबकि नामान्तरकरण संख्या 86 मे खसरा नं. 550 को कोई उल्लेख नही है। तत्पश्चात की जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 मे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खाते मे खसरा नं. 550रकबा 9.00 बीघा दर्ज किया हुआ है। वर्तमान मे उक्त खसरा 550 रकबा 9.00 बीघा अन्य खसरो के साथ अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी मे दर्ज है अप्रार्थी संख्या 3 के जरिये नामान्तरकरण संख्या 769 दिनांक 05.11.2012 रहन दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 34 जिसके द्वारा खसरा नं. 550 रकबा 9.00 बीघा नारायण पुत्र हुक्मा जाट साकिन देह खातेदार के नाम से भरा गया था वह नामान्तरकरण सन् 1991 मे तहसीलदार भोपालगढ द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार जमाबन्दी भुण्डाना मे खसरा नं. 550 रकबा 9.00 बीघा की खातेदारी जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज है एवं अप्रार्थी संख्या 3 के नाम रहन दर्ज है, वह भूमि वास्तव मे राजकीय भूमि है एवं बारानी किस्म सिवाय चक की भूमि है। इस भूमि का गत सेटलमेन्ट से आज तक कोई भी नामान्तरकरण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से स्वीकृत नही हुआ है। नामान्तरकरण संख्या 769 जो बैंक के नाम रहन का है जिसमे कुल 8 खसरे एवं कुल रकबा 134.05 बीघा दर्ज है व नामान्तरकरण खसरा नं. 550 रकबा 9.00 बीघा बिना किसी आधार के जमाबन्दी मे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज किये जाने से इस खसरे के अलावा अन्य भूमि पर वैधानिक रूप से प्रभावी है एवं इसी कारण से सम्बन्धित बैंक को पक्षकार बनाया गया है। लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 मे स्पष्ट प्रावधान है कि बिना किसी नामान्तरकरण के कोई भी इन्द्राज जमाबन्दी मे शामिल नही किया जा सकता है, परन्तु उक्त खसरा नं. बाबत् जमाबन्दी मे बिना किसी नामान्तरकरण स्वीकृति के अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी मे दर्ज कर दिये गये जो विधि विरूद्ध एव असत्य इन्द्राज है जिनको हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड की शुद्धि की जाकर खसरा 550 रकबा 9.00 बीघा किस्म बारानी ए को पुनः राजकीय खाते मे दर्ज करना नियमानुसार न्यायोचित है। राजकीय भूमि खसरा नं. 550 रकबा 9.00 बीघा मे बिना किसी विधिक प्रावधान के अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज किये जाने से राजकीय हित प्रभावित हुआ है, अतः राज्य हित मे इन्द्राज दुरूस्त किये जाने हेतु खसरा नं. 550 रकबा 9.00 बीघा किस्म बारानी ए मे जमाबन्दी मे त्रुटि को सुधार कर उक्त खसरा नं. 550 रकबा 9.00 बीघा किस्म बारानी ए सरहद मौजा ग्राम भुण्डाना तहसील पीपाड़ शहर को वापस राजकीय भूमि चालु परतीया एक वर्षीय परती के खाते मे दर्ज करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार आदेश फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र मे वर्णित समस्त दस्तावेजो की प्रतियां संलग्न की गई है।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये । अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता जगदीश प्रसाद दवे ने वकालतनाम प्रस्तुत किया एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भुण्डाना की जमाबन्दी खैवट खतौनी संवत् 2015 से 2018 के अनुसार ग्राम भुण्डाना के खसरा संख्या 550 रकबा 9 बीघा किस्म बारानी ए चालू परती या एक वर्षीय परती राजस्थान सरकार के खाते की भूमि है। पद संख्या 1 मे वर्णित तथ्य आधारहीन एवं सत्यता के अभाव मे अस्वीकार है एवं सदैव अस्वीकार करेगे जब तक अप्रार्थीगण स्वयं स्वीकार न कर ले। पद

उपखण्ड अधिकारी
(जोधपुर)

संख्या 1 मे वर्णित तथ्य अस्वीकार है कि जमाबन्दी खैवट खतौनी सम्वत् 2019 से 2022 तक बिना किसी नामान्तरकरण स्वीकृति के खसरा संख्या 550 रकबा 9 बीघा किस्म बारानी ए भूमि मे नारायण पुत्र हुक्मा, का नाम गैर खातेदार के रूप मे दर्ज कर लिया गया। प्रार्थीगण द्वारा वर्णित तथ्यो के उल्ट वास्तविकता यह है कि सेटलमेन्ट से पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वज यानि की स्व. नारायणराम खसरा संख्या 550 पर बतौर काबिज काश्तकार खेती करते रहे है इस संबंध मे स्व. श्री नारायणराम जी द्वारा समय समय पर बिघोडियां भी भरी गई है। स्व. श्री नारायणराम की बतोर काश्तकार उपस्थिति होने के उपरान्त भी वक्त सेटलमेन्ट तहसीलदार महोदय द्वारा गलती से स्व. श्री नारायणराम जी नाम दर्ज न कर खसरा संख्या 550 को तनाजा की श्रेणी मे दर्शा दिया गया जो कि सन्देहास्पद है। बिघोडियो की रसीदो व लगान पर्चा से यह पूर्णयता स्पष्ट है कि वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व से नारायणराम खसरा संख्या 550 पर खेती कार्य कर रहे थे परन्तु इन सब तथ्यो को दरकिनार कर खसरा संख्या 550 को तनाजा दर्शाना प्रशासन व राजस्व अधिकारीयो की मिलीभगत एवं जालसाजी का परिणाम था। राजस्व अधिकारीयो के गलत निर्णय व राजस्व अधिकारीयो की मिलीभगत से आहत होकर स्व. श्री नारायणराम जी ने सम्बन्धित तहसीलदार व उच्चाधिकारीयो से दरखास्त कर प्रशासन द्वारा की गई भूल को सुधार करने बाबत् प्रार्थना की। स्व. श्री नारायणराम जी के द्वारा की गई प्रार्थना के फलस्वरूप, सम्वत् 2019–22 मे प्रथम बार स्व. श्री नारायणराम जी का नाम जमाबन्दी मे बतौर काश्तकार दर्ज किया गया। तदोपरान्त स्व. श्री नारायणराम जी का नाम खसरा संख्या 550 रकबा 9 बीघा किस्म बारानी ए भूमि मे बतौर काश्तकार दर्ज हो गया। इस बात से नारायणराम जी आश्वस्त हो गये कि, विभाग एवं सम्बन्धित राजस्व अधिकारीयो द्वारा की गई भूल को सुधार कर लिया गया है। इन परिस्थितियो की उपलब्धता के उपरान्त विद्वान तहसीलदार महोदय द्वारा लगाये गये आरोप शून्य एवं आधारहीन प्रतीत होते है। पद संख्या तीन मे वर्णित तथ्य आधारहीन होने से अस्वीकार है एवं सदैव अस्वीकार रहेंगे जब तक अप्रार्थीगण स्वयं उसे स्वीकार न कर ले। प्रार्थी द्वारा वर्णित कथन पूर्णयता अस्वीकार है कि खतौनी सम्वत् 2023–26 मे राजकीय खाते की चालू परती खसरा संख्या 550 9 बीघा के खाते के सामने विशेष विवरण मे नामान्तरकरण दर्ज नं. 34 रकबा 9 बीघा खसरा संख्या 550 नारायण पुत्र हुक्मा जाति जाट के नाम रेगूलराईज करने का अंकन विधि विरूद्ध है। यहां इन तथ्यो पर गौर करना महत्वपूर्ण है कि प्रार्थी द्वारा तथ्यो को छुपाया गया है एवं अप्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने की नियति से अन्य महत्वपूर्ण तथ्यो को न्यायालय के सामने प्रस्तुत नही किया गया है। नामान्तरकरण होने के उपरान्त भी राजस्व अधिकारीयो द्वारा क्षैत्र के रसुखदारो से मिलीभगत कर स्व. श्री नारायणराम जी को बेदखल करने की नियति से बार बार राजस्व रिकार्ड मे बदलाव किया गया जो दर्शाता है कि तत्कालीन अधिकारीगण ग्रामवासीयो की मिलीभगत से अप्रार्थीगणो को उनकी जमीन से बेदखल कराने पर अमादा थे। जबकि वक्त सेटलमेन्ट से ही अप्रार्थीगण खसरा संख्या 550 पर काश्त काबिज रहे है जिसकी पुष्ठि अप्रार्थीगणो द्वारा समय समय पर जमा करवाई गई बिगोडियो की रसीद व पर्चा लगान से की जा सकती है। पद संख्या चार व पांच मे वर्णित तथ्य आधारहीन होने से अस्वीकार है एवं सदैव

28/3/12

उपखण्ड अधिकारी
बीलाड़ा ग्रामीण (जोधपुर)

अस्वीकार रहेंगे जब तक प्रार्थी उसे स्वीकार न कर ले। खसरा संख्या 550 पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व उनके पूर्वजो की उपस्थिति के उपरान्त भी व अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष के हो उन्हे दरकिनार कर प्रार्थी अधुरे सारहीन व मिथ्या तथ्यो को प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय को गुमराह करने का भरसक प्रयास कर रहे है ताकि प्रभावशाली लोगो का हित साधा जा सके। पद संख्या 4 मे जिन गलत इन्द्राज का हवाला तहसीलदार महोदय द्वारा दिया गया है वह तत्कालीन राजस्व कर्मचारी व अधिकारीयो की मिलीभगत कर रिकार्ड के साथ छेडछाड करने का परिणाम है। खसरा संख्या 550 के सम्पूर्ण रिकार्ड मे शुरूआत से ही छेडछाड की जाती रही है ताकि उक्त खसरे को विवादित दर्शाया जा सके ताकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त खसरे से बेदखल हो जाये। राज्य की भूमि का राज्य के क्षैत्र मे संतुलन बना कर तय कानुन व नियमो की पालना सुनिश्चित करवाना है परन्तु हस्तगत मामले मे राज्य राज्य की तरह काम ना कर अप्रार्थीगणो का व्यक्तिगत शत्रु की तरह कार्य कर रहा है क्योकि सम्पूर्ण मामले मे अप्रार्थीगणो के पक्ष के तथ्यो को बडी चालाकी से दरकिनार कर दिया। पद संख्या छः मे वर्णित तथ्यो के विषय मे अप्रार्थीगण का कथन है कि नामान्तरकरण संख्या 34 को खारिज करने की जो प्रकिया तहसीलदार भोपालगढ द्वारा अपनाई गई वह पूर्णतया विधि विरूद्ध थी एवं इस संबंध मे अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से सूचित नही किया गया। प्रार्थी मिथ्या तथ्यो को प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय को गुमराह करने का भरसक प्रयास कर रहे है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मिथ्या तथ्यो के उल्ट वास्तविकता यह है कि दिनांक 28.08.1968 को श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार महोदय बिलाड़ा द्वारा फैसला करते हुए खसरा संख्या 550 तादादी 9 बीघा बारानी अव्वल पर स्व. श्री नारायणराम पुत्र श्री हुकमाराम का विनियम कर टीआरए तथा पटवारी को सूचित कर मिसल वाद दाफता दफ्तर करने का आदेश पारित किया। इस आदेश को राजस्व अधिकारीयो द्वारा तय समय सीमा के भीतर कभी भी जरिये अपील चुनौती नही दी गई। ऐसे मे अतिरिक्त तहसीलदार महोदय बिलाड़ा द्वारा पारित आदेश स्वतः अन्तिम हो गया। इन परिस्थितियो की उपलब्धता के उपरान्त बिना अपील किये एवं अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के अभाव मे तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 34 को खारिज कर देना स्वयं मे सन्देहास्पद प्रतीत होता है। इसके अलावा भु–राजस्व अधिकारी किसी कारणवश राजस्व रिकार्ड मे बदलाव चाहता है तो उस परिस्थिति मे राजस्व अधिकारी द्वारा सम्बंधित पक्षकार को कारण बताओ नोटिस जारी करना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी जिस नामान्तरकरण संख्या 34 को खारिज करना बता रहे है वह राजस्व रिकार्ड मे बदलाव का एक उदाहरण है परन्तु तत्कालीन राजस्व अधिकारी/सम्बंधित अधिकारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 34 का खण्डन करने से पूर्व सम्बंधित पक्षकार यानि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कभी भी नोटिस जारी कर पक्ष रखने का मौका प्रदान नही किया। ऐसे मे नामान्तरकरण संख्या 34 को खारिज करने की प्रकिया विधि विरूद्ध होने से अस्वीकारीय है एवं वर्तमान मे खसरा संख्या 550 की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से ही जारी है। नामान्तरकरण संख्या 34 के खण्डन को देखने मात्र से यह प्रतीत होता है कि सम्बंधित राजस्व अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इसका खण्डन मनमाने तरीके से व प्रभावशाली ग्रामीणो से

मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी को विवादित दर्शाने की नियति से यह कृत्य किया गया है जो विधि के नजरो मे शून्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमावें ।

हमने बहस पक्षकारान सुनी जाकर जिसमें प्रार्थी तहसीलदार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को फिर से दोहराते हुए निवेदन किया है कि लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 मे स्पष्ट प्रावधान है कि बिना किसी नामान्तरकरण के कोई भी इन्द्राज जमाबन्दी मे शामिल नही किया जा सकता है, परन्तु उक्त खसरा नं. बाबत् जमाबन्दी मे बिना किसी नामान्तरकरण स्वीकृति के अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी मे दर्ज कर दिये गये जो विधि विरूद्ध एव असत्य इन्द्राज है जिनको हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड की शुद्धि की जाकर खसरा 550 रकबा 9.00 बीघा किस्म बारानी ए को पुनः राजकीय खाते मे दर्ज करना नियमानुसार न्यायोचित है। राजकीय भूमि खसरा नं. 550 रकबा 9.00 बीघा मे बिना किसी विधिक प्रावधान के अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज किये जाने से राजकीय हित प्रभावित हुआ है, अतः राज्य हित मे इन्द्राज दुरूस्त किये जाने हेतु खसरा नं. 550 रकबा 9.00 बीघा किस्म बारानी ए मे जमाबन्दी मे त्रुटि को सुधार कर उक्त खसरा नं. 550 रकबा 9.00 बीघा किस्म बारानी ए सरहद मौजा ग्राम मुण्डाना तहसील पीपाड़ शहर को वापस राजकीय भूमि चालु परतीया एक वर्षीय परती के खाते मे दर्ज करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार आदेश फरमाया जावे। इसी प्रकार वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाबदावे के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि सम्वत् 2019 से 2022 तक बिना किसी नामान्तरकरण स्वीकृत के खसरा नम्बर 550 रकबा 9 बीघा भूमि में नारायण पुत्र हुक्मा का नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज कर लिया गया। प्रार्थी द्वारा वर्णित तथ्यो के उलट वास्तविकता है कि स्व. नारायणराम खसरा नम्बर 550 पर बतौर काबिज काश्तकार खेती करते आ रहे है । राजस्व अधिकारी की गलती को तहसीलदार व उच्च अधिकारियो से दरख्वास्त कर की गई भूल को सुधारने की प्रार्थना की गई है । नामान्तरकरण दर्ज नम्बर 34 रकबा 9 बीघा खसरा नम्बर 550 नारायण पुत्र हुक्मा जाति जाट के नाम रेगुलाईज करने का अंकन विधि विरूद्ध है । नामान्तरकरण 34 को खारिज करने की प्रकिया जो तहसीलदार द्वारा अपनाई गई जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है। दिनांक 28.08.1968 को अतिरिक्त तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा फैसला करते हुए खसरा नम्बर 550 तादादी 9 बीघा स्व. श्री नारायण पुत्र हुक्माराम का विनिमय कर टी.आर.ए तथा पटवारी को सूचित कर मिसल बाद दाफता दफ्तर करने के आदेश पारित किया । अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खर्चा हर्जा के खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया जाकर लेण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के अनुसार बिना किसी नामान्तरकरण के जमाबन्दी में इन्द्राज नही किया जा सकता जबकि उक्त खसरा नम्बर 550 रकबा 9 बीघा बिना किसी नामान्तरकरण स्वीकृत के अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिये गये । जो विधि विरूद्ध है ।

28/6

उपखण्ड अधिकारी
... शहर (जोधपुर)

अतः प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम मुण्डाणा के खसरा नम्बर 550 रकबा 9 बीघा किस्म बारानी ए में से अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम हटाये जाकर खसरा नम्बर 550 रकबा 9 बीघा को पुनः राजकीय खाते में दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें ।

(दूदाराम)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 28.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(दूदाराम)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर